हर इन्सान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान

समता आन्दोलन
हर इन्सान-एक समान

समता ज्योति

वर्ष : 12 अंक :03 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 मार्च (प्रकाशन तिथि), 2021

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये (चार पेज)

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

मराठा आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट कर रही है सुनवाई

आखिर कितनी पीढ़ियों तक जारी रहेगा आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। महाराष्ट्र पर मराठा आरक्षण लागू किये जाने के लिए राजनीतिक दबाव है। इसके लिए सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी पैरवी कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार जल्द ही इस मुद्दे का समाधान चाहती है लेकिन देश की सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान एक अलग प्रश्न पूछ लिया।

सुप्रीम कोर्ट ने जानना चाहा कि कितनी पीढ़ियों तक आरक्षण जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 50 प्रतिशत की सीमा हटाए जाने की स्थिति में पैदा होने वाली असमानता को लेकर भी चिंता प्रकट की।

वहीं महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ से कहा कि कोटा की सीमा तय करने पर मंडल मामले में ;सुप्रीम कोर्ट केद्ध फैसले पर बदली हुई परिस्थितियों में फिर से विचार करने की आवश्यकता है।

सुप्रीम कोर्ट में मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान करने वाले महाराष्ट्र के कानून के पक्ष में दलील देते हुए रोहतगी ने मंडल मामले में फैसले के विभिन्न पहलुओं का हवाला दिया।

रोहतगी ने कहा कि न्यायालयों को बदली हुई परिस्थितियों के मद्देनजर आरक्षण कोटा तय करने की जिम्मेदारी राज्यों पर छोड़ देनी चाहिए और मंडल मामले से संबंधित फैसला 1931 की जनगणना पर आधारित था।

मुकुल रोहतगी ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों ईब्ल्यूएस को 10 फीसदी आरक्षण देने का केंद्र सरकार का फैसला भी 50 फीसदी की सीमा का उल्लंघन करता है।

इस पर जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस रविंद्र भट की पीठ ने कहा अगर 50 फीसदी की सीमा या कोई सीमा नहीं रहती है, जैसा कि आपने सुझाया है, तब समानता की क्या अवधारणा रह जाएगी। आखिरकार, हमें इससे निपटना होगा। इससे पैदा होने वाली असमानता के बारे में क्या कहना चाहेंगे।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है।

यह है मामला

महाराष्ट्र सरकार ने 2018 में मराठों को शिक्षा और नौकरी में 16 फीसदी आरक्षण के लिए कानून बनाया था। बाम्बे हाईकोर्ट ने 16 फीसदी आरक्षण को घटाकर शिक्षा के लिए 12 और नौकरियों के लिए 13 फीसदी करते हुये कहा था कि अधिक कोटा उचित नहीं था। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 09 दिसम्बर 2020 को अन्तरिम आदेश में कहा था कि 2020-2021 में नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में एडमिशन के दौरान मराठा आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

शीर्ष कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस भेजे और उठाये सवाल

- आंकलन करेंगे कि वर्तमान परिदृश्य में मंडल आयोग से जुड़े फैसलों पर पुनर्विचार किया जाए।
- क्या आरक्षण से जुड़े इस मामले का विचार के लिए बड़ी पीठ को सौंपा जाए।
- संविधान के 102वें संशोधन से क्या संघीय ढांचे पर असर पड़ता है।
- क्या सामाजिक शैक्षणिक पिछड़े वर्ग एसईबीसी पर राज्यों को उसके अधिकरों से वंचित किया जा रहा है।

पीठ में शामिल न्यायाधीश

- न्यायाधीश अशोक भूषण
- न्यायाधीश नागेश्वरा राव
- न्यायाधीश अब्दुल नजीर
- न्यायाधीश हेमंत गुप्ता
- न्यायाधीश रविन्द्र भट्ट

स्थानीय निकायों के चुनावों में लागू ओ.बी.सी. कोटा के कानून में सशोधन करें सरकार: शीर्ष कोर्ट

नई दिल्ली, 4 मार्च। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र जिला परिषदों में अदर बैकवर्ड जिला परिषदों में अदर बैकवर्ड क्लासेज (ओ.बी.सी) कोर्ट के तहत प्रत्याशियों के चुनाव को रद्द करते हुए इन सीटों पर दो सप्ताह के भीतर फिर से चुनाव कराने के आदेश दिये। जस्टिस ए.एस. खानविलकर,इन्दु मल्होत्रा और अजय रस्तोगी की बैंच ने जिला परिषद चुनावों में ओ.बी.सी. को 27 प्रतिशत आरक्षण की अनुमति देने वाले महाराष्ट्र जिला परिषद एवं पचायत समिति अधिनियम की धारा 12(2) (सी) को खारिज कर दिया। जुलाई 2019 में वाशिम के विकास किशनराव गवली द्वारा दायर याचिका पर उक फैसला जस्टिस खानविलकर ने सुनाया। इस फैसले का असर ना केवल महाराष्ट्र में बल्कि ओ.बी.सी. आरक्षण से सम्बद्ध सभी राज्यों में होगा क्योंकि कोर्ट ने उनसे कहा है कि वे इस निर्णय के प्रासंगिक पहलुओं को अपने यहां लागू करें। कोर्ट ने महाराष्ट्र और सभी राज्यों को आव्हान किया है कि स्थानीय निकायों में ओ.बी.सी. कोर्ट सीटें आरक्षित करने से पूर्व तीन परीक्षण किए जाएं। वे हैं। 1. राज्य में, स्थानीय निकायों में, पिछड़ी जातियों को पात्रता के निहितार्थ और प्रकृति की गहन जाँच के लिए एक आयोग गठित किया जाए, 2. आयोग की सिफारिशों के अनुसार आरक्षण के अनुपात का विशेष रूप से उल्लेख किया जाए और 3. किसी भी सूरत में इस प्रकार का आरक्षण एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. की कुल सीटों के आरक्षण के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

समता आन्दोलन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई: राज्य सरकारें संसद से पास कानून के खिलाफ प्रस्ताव कैसे ला सकती हैं?

नई दिल्ली। समता आन्दोलन की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने 19 मार्च 2021 को सुनवाई करते हुये अगली सुनवाई 19 अप्रेल 2021 निर्धारित की है। याचिका का विषय है कि राज्य विधानसभाएँ संसद से पास कानून की आलोचना करने वाला प्रस्ताव पारित कैसे कर सकती है।

अदालत ने इस बाबत समता आन्दोलन समिति द्वारा जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें नागरिकता संशोधन कानून सीएए, कृषि सुधार कानून आदि के खिलाफ राज्य सरकारों द्वारा आलोचना प्रस्ताव पारित करने की प्रथा को चुनौति दी गई है। मुख्य न्यायाधीश एस.ए.बोबड़े की अध्यक्षता वाली बैंच ने इस पर सुनवाई टाल दी है। बैंच ने याचिका कर्ता समता आन्दोलन से कहा कि वे इस पर थोड़ा और रिसर्च करें। क्योंकि अदालत मुद्दे को हल करने की तुलना में अधिक समस्या पैदा नहीं करना चाहती। वकील सौम्य चक्रवर्ती का कहना है कि केन्द्रीय विषय पर विधानसभा में चर्चा नहीं हो सकती।

अध्यक्ष की कलम से

हमने कहा : हमने किया

साथियों,

नमस्कार। मुझे खुशी है। समता आन्दोलन के समर्पित सदस्य कोरोना काल में भी सक्रिय रहे। हालांकि देश-दुनिया की तरह हमारी गतिविधियाँ भी बहुत सीमित रह गई थी। फिर भी आवश्यकता होने पर हमारे प्रत्येक सदस्य ने हर खतरा मौल लेकर भी सक्रियता का प्रदर्शन किया। आज जब कोरोना की वैक्सीन मिल जाने पर खतरा बहुत हद तक टलता दीख रहा है तो समता आन्दोलन भी फिर से मैदान में खम ठोकने को बेताब दीखता है। इससे नई आशा और ऊर्जा का संचार दिखाई देने लगा है।

मई महिने की 11 तारीख सामने है। ये दिन समता आन्दोलन का ही नही अपितु आरक्षण के दंश से बेहोश हो चुके देश के पुनर्जागरण का दिन भी है। हमने कहा-हमने किया-इतना कह देना भर पर्याप्त नहीं है। क्योंकि इस वाक्य को धरातल पर उतारने के लिये न केवल राजस्थान के पांच लाख कर्मचारी और अधिकारी तनकर खड़े हो गये वरन देश के दस प्रदेशों, इन्कम टैक्स, रेल्वे आदि के कर्मचारी और अधिकारी, जो अपने हक के लिये बोलना भूल चुके थे वे फिर से आवेश गीत गाने लगे।

संघर्ष की पहली शर्त यही है कि 'जिसने हार नही मानी वह जीत गया'। कम से कम पदौन्नति में आरक्षण बंद करवाने के मामले में तो यह एकदम सटीक बैठता है। इसके अलावा देश के सत्ताधारी विपक्षी दलों को हमने ''समता'' का नया और सार्थक संदेश दिया-मिशन:59 और 'नोटा' का प्रयोग। अत: हर सदस्य का आव्हान है कि वो नये मील के पत्थर गाड़ने के लिये फिर से तैयार हो जावे। नेता और पार्टिया देश का वर्तमान बनाती हैं। हम भविष्य संवारते हैं। जय समता।

सम्पादकीय

''जात के बाद अब क्षेत्रियता का भय''

जाति आधारित आरक्षण ने रक्त बीज बनकर देश की प्रतिभा और प्रगति को भयंकर आघात पहुँचाया है। तथ्यत: तो 1980 के बाद इस तरह का आरक्षण असंदिग्ध रूप से अवैध है। लेकिन जैसे-जैसे आजाद देश लोक कल्याण कारी सरकार के साथ आगे बढता गया वैसे-वैसे सत्ता का नशा लोकनेताओं के सिर चढने लगा और वे कथित राजनेता के रूप में परिवर्तित होने लगे। इसका अगला कदम और भी बड़ा और भयानक हुआ । भारत का लोकतंत्र धीरे-धीरे पार्टी तंत्र में बदलता गया। और अब तो पूरी तरह पार्टी तंत्र ही लोकतंत्र है।

पार्टी तंत्र के माध्यम से लोकतंत्र का अपहरण करने के लिये क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। अधिकांश ऐसे क्षेत्रीय दल शुद्व स्थानीय स्वार्थों से प्ररित थे और प्राय: एक व्यक्ति या एक परिवार की मिल्कियत बनते चले गये! संघराज्य व्यवस्था में ऐसे छोटे दलों का उदय स्वस्थ लोकतंत्र के लिये सही नहीं था। और ऐसा ही हुआ भी। हालांकि आजादी के संघर्ष की तपी हुई श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था क्षेत्रीय दल आगे जाकर अभिशाप सिद्व होंगे।

श्रीमती इंदिरा गांधी के कथन से क्षेत्रीय दलों के उभार की गति कम हुई लेकिन अटल बिहारी भाजपेयी ने कहा कि ''देश में एकल पार्टी के शासन का युग समाप्त हो गया''।

इसके बाद तो मानों क्षेत्रीय दल ही भारत के भाग्य विधाता बन गये। लेकिन इसे दैवयोग मानें या भारत का सौभाग्य कि अटल बिहारी के कथन को उनकी ही पार्टी भाजपा ने एक बार नहीं बल्कि दो बार बदल दिया है। आज हालत ये है कि केन्द्र में एक पार्टी का शासन है जबकि प्रदेशों में क्षेत्रीय दलों के जुड़ाव वाली सरकारें काम कर रही है।

क्षेत्रीय दलों में से यदि आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया जावे तो बाकी के सभी दल कमोबेश जाति आधारित आरक्षण से सिंचित बिरवे रहे हैं और जात तथा नयी-नयी जात इन बिरवों की खाद है। जातिवादी क्षेत्रीय दलों की संकीर्ण मानसिकता ने केन्द्र को तो प्रभावित किया ही देश के विकास को भी पंगु बनाकर रख दिया। जाति आरक्षणवादियों के डर और दबाव के चलते सरकारी अमला हल्का किया जाने लगा। इसी का परिणाम है कि केन्द्र सरकार को अपने ही बनाए यू.पी.एस.सी पर अविश्वास करके बिना किसी विधिवत परीक्षा के निजि क्षेत्र की प्रतिभाओं को नीति निर्धारक पदों पर बैठाना पड़ रहा है। लेकिन सरकारी अमला लगातार हल्का होते जाने से कर्मचारी/अधिकारी का संख्याबल आधे से भी कम रह गया हैं। परिणामत: जिसे सरकार कहा जाता था उसका प्रभाव भी आधा रह गया है।

क्षेत्रीय दलों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिये अब जातीय जहर से आगे बढकर क्षेत्रीय जहर फैलाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार और यहाँ तक कि दिल्ली की सरकार भी इसी रास्ते चलने लगी हैं। कई बार यूं लगता है कि सरदार पटेल की आकाश चूमती सरदार सरोवरी प्रतिमा का आकार मात्र एक छलावा बनकर न रह जावे।

देश की सबसे बड़ी अदालत पर प्रश्न उठने लगे हैं। किन्तु प्रश्न ये भी है कि उसके सही निर्णयों में संघराज्य का स्वरूप यदि खण्डित हो गया तो उसका ठीकरा क्षेत्रीय दलों पर फोड़कर भी कुछ होने वाला नहीं है। इन दिनों मराठा आरक्षण के बहाने सुप्रीम कोर्ट क्षेत्रीय दलों की मंशा पर प्रतिदिन सुनवाई कर रहा है। कुछ भी कहना कठिन है कि जाति आरक्षण से कुंठित हुए देश की शेष बची ऊर्जा को सुप्रीम कोर्ट क्षेत्रीयता के दल-दल से निकाल पायेगा या नहीं । लेकिन हम आशावादी है । और यही अब विकल्प है। जय समता।

- योगेश्वर झाड़सरिया

पाचं सदस्यीय संवैधानिक पीठ कर रही है सुनवाई

मराठा आरक्षण के बहाने कोटे की कलह फिर शीर्ष कोर्ट में!

मराठा आरक्षण और इससे जुड़े सवैधानिक प्रश्नों पर सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ 15 मार्च से फिर सुनवाई कर रही है। शीर्षस्थ कोर्ट इस मामले की सुनवाई के दौरान जिन प्रमुख संवैधानिक प्रश्नों के जवाब तलाशेगी, वे कुछ इस तरह हैं- क्या राज्य सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय 50 फीसदी आरक्षण सीमा पार कर सकते हैं? क्या 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण देना 1992 के इंदिरा साहनी मामले के फैसले के अनुसार असाधारण परिस्थितियों में आता हैं और क्या इसे पुनर्विचार के लिए बड़ी पीठ में भेजा जाना चाहिए।

क्या राज्य जाति विशेष के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग (एसईबीसी) घोषित कर सकते हैं? क्या संविधान का 102वां संशोधन किसी राज्य को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के निर्धारण के लिए उसे कानून लागू करने के अधिकार से वंचित करता है? संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत राज्यों को किसी भी पिछड़े वर्ग के संबंध में जो शक्तियां मिली हैं, क्या वे न्यून होती है यदि संविधान के अनुच्छेद 342(ए) को 366(26सी) के साथ पढ़ा जाए? क्या अनुच्छेद 342(ए) से किसी पिछड़े वर्ग के संदर्भ में कानून बनाने की राज्य की शक्तियां निष्प्रभावी होती हैं और इस तरह संविधान की संघीय नीति या संरचना प्रभावित होती हैं?

मील का पत्थर था 92 का फैसला

1992 के इंदिरा साहनी की याचिका पर ही पूर्व के निर्णयों को दोहराते हुए जाति-आधारित आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत तय की थी। प्रशासन में 'दक्षता' के लिए सीमा तय करना भी जरूरी बताया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि 50 फीसदी सीमा लागू होगी, जब तक कि असाधारण परिस्थिततिया न हों।

कई राज्यों में कोटा 50 प्रतिशत के पार

संविधान में 102वें संशोधन के तहत राष्ट्रपति को पिछड़ा वर्गों को अधिसूचित करने का अधिकार है। दूसरी ओर, 103वें संशोधन के तहत अनारक्षित श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़ों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। 103वें संशोधन की वैधता को भी अदालत में चुनौती दी गई है। इसके अलावा कई राज्य 50 प्रतिशत की सीमा पार कर चुके है। ताजा मामला हरियाणा का है। जहां राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में राज्य के युवाओं के लिए 75 फीसदी नौकरिया देना आवश्यक कर दिया है। झारखंड भी इसकी तैयारी कर रहा है।

पिछड़ा आयोग अब तक दो बार गठन

पहला आयोग: इसे काका कैलकर आयोग के नाम से जाना जाता है। 29 जनवरी 1953 को गठित किया गया था। इसमें 2399 जातियों को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा बताया गया था। केन्द्र सरकार ने 1961 में यह रिपोर्ट खारिज कर दी थी

दूसरा आयोग: 01 जनवरी 1979 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरार जी देसाई ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था। आयोग ने लगभग 3743 जातियों की पहचान की और ओबीसी के लिए 27 फीसदी कोटा तय करने की सिफारिश की।

तमिलनाडु मामले में पीठ लंबित

तमिलनाडु में 1993 के एक कानून के जरिए कॉलेजों में सीट और राज्य सरकार की नौकरियों में 69प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया था। संविधान संशोधन के जरिए इस कानून को नौवी अनुसूची में रखा गया। 2007 में चुनौती मिलने पर सुप्रीम कोर्ट के नौ जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से व्यवस्था दी कि नौंवी अनुसूची में शामिल कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर तो नहीं, लेकिन संविधान के मुल ढांचे के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। इस संबंध में अभी पीठ का गठन लंबित है।

-राजस्थान पत्रिका से साभार

50 फीसदी से अधिक आरक्षण मुद्दे पर आन्दोलित हुआ समता आन्दोलन

अलवर में समता की बैठक

अलवर। समता आन्दोलन समिति जिला अलवर की तरफ से होटल कमल रिसोर्ट पर हुई बैठक में जिला अध्यक्ष राम अवतार सिंह चौहान जिला उपाध्यक्ष हर्ष सिंह राजावत योगेश वशिष्ठ नवीन शर्मा नगेंद्र सिंह शैलेंद्र सिंह रामजीत सहित सर्व समाज के समता कार्यकर्ता मौजूद रहे।

इसमें मुख्य रूप से सभी समता कार्यकर्ताओं को बताया गया कि राजनीतिक पद प्राप्त करने के लिए राजनीतिक लोग आरक्षण को 50 फीसदी से अधिक बढ़ा रहे हैं जो संविधान के प्रतिकूल है इससे आने वाली पीढ़ी को भारी नुकसान होगा अत: इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा।

कोटा में समता का विरोध प्रदर्शन

कोटा। संभागीय अध्यक्ष डा. अनिल शर्मा और जिलाध्यक्ष वाई.के.गुप्ता के नेतृत्व में समता वादियों ने पैदल मार्च करके जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि समता आन्दोलन राज्य सरकार के इस कृत्य से आहत है। हम चाहते है कि आरक्षण आरक्षित वर्ग में गरीब व पिछड़ों को मिले लेकिन 50 प्रतिशत सीमा में ही रहे। ताकि योग्यता के साथ गरीब व पिछड़े आरक्षित वर्ग भी देश के विकास में अपना योगदान दे सके। हमारा आग्रह है कि राज्य सरकार जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर पंडित नेहरू की विकासात्मक नीतियों को आगे बढाये।

पौराणिक कथन : 'कल्पसूत्र'

श्रोत सूत्र, धर्मसूत्र और गृहसूत्र इन तीनों को मिलाकर कल्पसूत्र कहा जाता है
इसके ऋषि लोमहर्षण थे।

गंगा का सागर से संगम,
साथ रहे है जड़ औ जंगम।
जाति की विष बेल फैलकर
घोट रही है भारत का दम।।

कविता

"नीचा हुआ आसमान"

जात से बढकर,
क्षेत्र का वार,
देश सरकार संसद
लोग और अदालतें
सुन्न पड़ती जा रही
आशाओं की धड़कन,
मांओ ने शिशुओं को निहारा
और कहा सुन मेरे नौनिहाल
घुटनों के बाद
जब तुम पैंया-पैंया चलोगे
और फिर दौड़ना चाहोगे
तुम्हे नहीं मिलेंगे
मार्ग और महामार्ग
गलियों से ही
हो सकोगे दो-चार ।
शासन प्रशासन की थकान/सुन रही
मंदिर की घंटियाँ और
मस्जिद की अजान
जन का मन हैरान
किसे कहाँ कैसे कहें
जात के बाद
क्षेत्र में बंटे हैं कान
भूल गये हैं आयाम
कच्चे घरौंदों की दीवारें
थरथराती हैं दिनरात, कि
सड़क के उस तरफ
उफनती दिख रही है धार।
आसमान इतना नीचा
पहले तो नहीं था
अब तो बंटा-बंटा भी है
बादलों के पैबंद
यहाँ वहाँ रोक रहे
सूरज की गर्मी और रोशनी
अंधेरे में लिखे भी तो कैसे
कागज-कलम
अवांछित मान लिये गये है
सभी चिंतित हैं
लेकर अपने-अपने बन्टे
होने वाला है
सबका बंटाढार

– समता डेस्क

हमारा संविधान एक गतिशील दस्तावेज है

गतांग से आगे:-

लेकिन प्रगतिवादियों की इन सब बातों से क्या लेना-देना है। वे तो यह कहते हैं कि हम एक क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं। संवैधानिक स्थितियों को उलझाए जाने की जरूरत है, क्योंकि वे बहुत लंबे समय से सुलझी हुई पड़ी हैं। वे स्वयं को क्रान्ति का मानदंड-धारक मानते हैं। उनका विश्वास है कि वे इस मध्यकालीन, परंपरागत, वंशानुगत समाज को एक आधुनिक, समतावादी लोकतंत्र में रूपांतरित कर रहे हैं और इस मामले में वे पूर्ववर्ती क्रांतिकारियों से भी बढ़कर हैं।

संविधान में प्रयुक्त शब्दों को न केवल खुले और व्यापक अर्थ में लिया जाना चाहिए, बल्कि साथ-ही-साथ उन शब्दों के अर्थ की प्रकृति और दिशा पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। यह नसीहत है प्रगतिवादियों की।सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, "संविधान के आशय-स्पष्टीकरण में शब्दों की व्यापकता ही प्रस्तावना के उद्देश्यों को प्राप्त करने का माध्यम है। अधिकारों के विस्तार के लिए अवधारणाएँ समय-समय पर बदल सकती हैं।संवैधानिक मामले शब्दों के व्यापक अर्थ के आधार पर ही सुलझाए जा सकते हैं। संविधान का उद्देश्य विवरण का उल्लेख करना नहीं बल्कि सिद्धांतों की रूपरेखा बनाना है।"

क्रांतिकारी न्यायाधीश

इसके साथ ही एक और नसीहत दी जाती है कि एक न्यायाधीश को सक्रियतावादी भी होना चाहिए। इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय आगे कुछ इस प्रकार टिप्पणी करता है- एक न्यायाधीश को अपने समय की वास्तविकताओं से भलीभाँति परिचित होना चाहिए....। आम लोगों को प्रभावित करनेवाली (समय की) प्रचंड धारा अपने मार्ग में आनेवाले न्यायाधीशों को भी उसी तरह प्रभावित करती है। कानून का उद्देश्य सामाजिक स्थितियों के अनुकूल होना चाहिए। एक न्यायाधीश में एक विधायक (विधि-निर्माण) की-सी बुद्धिमत्ता, एक इतिहासकार की तरह सत्य की खेज करने की प्रवृत्ति तथा भविष्यदर्शिता होनी चाहिए और वर्तमान की आवश्यकताओं को समझने का सामर्थ्य और हर प्रकार के व्यक्तिगत प्रभाव से दूर रहकर भविष्य की माँग के अनुसार वस्तुगत रूप से निर्णय देने की क्षमता होनी चाहिए। अत: समय की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए न्यायाधीशों को संविधान और अधिनियम की गतिशील अवधारणाओं का उद्देश्यपरक आश्य लेकर चलना चाहिए। एक न्यायाधीश को यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि सामाजिक विधान किसी खंडन-मंडन का दस्तावेज नहीं बल्कि समाज के सदस्यों के जीवन को नियंत्रित-आदेशित करने का एक माध्यम है। कानून का अर्थ-निरूपण करने के लिए हमें उसके स्वरूप, मूल तत्व और उसके इतिहास में झाँककर देखना चाहिए। कानून जनता की स्वतंत्रता में विस्तार करनेवाला होना चाहिए और विधि-व्यवस्था

"संविधान के आशय-स्पष्टीकरण में शब्दों की व्यापकता ही प्रस्तावना के उद्देश्यों को प्राप्त करने का माध्यम है। अधिकारों के विस्तार के लिए अवधारणाएँ समय-समय पर बदल सकती हैं।संवैधानिक मामले शब्दों के व्यापक अर्थ के आधार पर ही सुलझाए जा सकते हैं। संविधान का उद्देश्य विवरण का उल्लेख करना नहीं बल्कि सिद्धांतों की रूपरेखा बनाना है।"

का उद्देश्य समतावादी समाज की स्थापना होना चाहिए। अत: न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग बदलती समाजिक आवश्यताओं की पूर्ति करने के लिए सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।मौजूदा सामाजिक असमानताओं और असंतुलन को समाप्त करके सामाजिक व्यवस्था को पुन: समायोजित किया जाना है, अन्यथा कठोर (सामाजिक) रीतियाँ अथवा विजयी प्रभाव स्थापित कर लेंगी। न्यायाधीशों को समाज के सुदृढ़ीकरण के लिए तथा दलितों और जनजातियों को सार्वजनिक सेवाओं या स्थानों तक पहुँच दिलाने के लिए कानून की प्रगति को आकार देने का दायित्व सौंपा गया है। कानून एक परिणामी उत्पाद है, जिसे पाया नहीं बल्कि बनाया जाता है।

जी हाँ, यहाँ न्यायपालिका कानून बनाती भी है- बैनर के ऊपर बैनर। और यह तो एक उदाहरण मात्र है।आइए देखें, न्यायालय आगे क्या कहता है-

अत: न्यायाधीशों को समय की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मानव जीवन-दशाओं को ध्यान में रखना चाहिए। और जीवन के अधिकार को सार्थक बनाते हुए संविधान तथा विधायिका को प्रभावशाली बनाना चाहिए। राष्ट्रीय जीवन के वाहन के रूप में इस न्यायालय को राष्ट्र की आवश्यकताओं को समझना चाहिए, और जन कल्याण को बढ़ावा देने तथा संवैधानिक संकल्पना को यथार्थ बनाने के लिए कानून का व्यावहारिक आशय निकालना चाहिए, और संविधान का खुला एवं व्यापक अर्थ प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि नागरिक अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें.....।

अत: यह सर्वोच्च न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अधिकारों में स्पर्धात्मक संतुलन स्थापित करने के लिए गतिशील और सक्रिय संविधान में प्रयुक्त शब्दों को व्यापक संदर्भ में लेकर संविधान में जीवनी शक्ति भरे। न्यायालय का कार्य वर्तमान की आशाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अतीत को ध्यान में रखकर समान सामाजिक परिवर्तन को आकार देना है। इस न्यायालय को अन्य कानूनों के आशय स्पष्टीकरण की बजाय संविधान के आशय-स्पष्टीकरण की अधिक स्वतंत्रता है। अत: यह ऐसे किसी अर्थ-निरूपण को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है, जो राष्ट्रीय अखंडता या प्रगति में बाधा उत्पन्न करे; यह ऐसे अर्थ-निरूपण को लेकर चलता है, जो संविधान की प्रस्तावना में रखे गए आदर्श के अनुरूप हो-समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय तथा आर्थिक सशक्तीकरण के समान अधिकार उपलब्ध कराकर एवं उन्हें (सामाजिक)अन्याय से बचाकर। संरक्षणात्मक भेद समान न्याय की संकल्पना को साकार करने का एक कारगर उपाय है.....।

आरक्षण से संबंधित मामलों और उन पर दिए जानेवाले निर्णयों में इस तरह की नसीहतें स्वाभविक-सी बन गई हैं। "भारतीय संविधान को सामाजिक क्रांति के एक दस्तावेज के रूप में वर्णित किया गया था; न्यायपालिका सहित प्रत्येक व्यवस्था इससे संबद्ध है, जो सरकार की एक अलग, किंतु समान शाखा के रूप में वर्तमान व्यवस्था को एक नई मानव-व्यवस्था में रूपांतरित करने के लिए है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्र की सभी संस्थाओं में मौजूद रहेगा और सभी के लिए अवसर एवं स्तर की समानता होगी।" बिहार राज्य बनाम बालमुकुंद शाह मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी।" न्याय की ब्रिटिश अवधारणा किसी स्थिर समाज-राष्ट्र के लिए तो संतोषजनक थी, लेकिन लिंग न्याय (समानता) की आवश्यकतावाले किसी समाज के लिए इसे उपयुक्त नहीं माना जा सकता। ग्रेनविल ऑस्टिन के शब्दों में, न्यायपालिका को सामाजिक-आर्थिक क्रांति के एक माध्यम के रूप में कार्य करते हुए जनसामान्य तक सामाजिक न्याय पहुँचाना चाहिए।"

चयनात्मक सक्रियतावाद

लेकिन साथ ही एक और नसीहत कि हर मामले में इस तरह का खुला और व्यापक दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए। जरा याद करें न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर के उन शब्दों को, जिनमें उन्होंने कहा था कि किस प्रकार सामाजिक अन्याय को मिटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय निरंकुशता का सहारा ले। यह भी याद करें कि किस तरह न्यायमूर्ति अय्यर जैसे न्यायाधीशों ने अपना निर्णय थोपने के लिए 'नीति' की परिधि को ही सीमित कर दिया है। और जब वही न्यायाधीश दूसरे मामले-शोषित कर्मचारी संघ- में इस तरह की टिप्पणी करे तो क्या आश्चर्य की बात नहीं है-कि यद्यपि विवादित प्रावधान से मुश्किल में पड़े लोगों के प्रति 'किसी को भी सहानुभूति हो सकती है';क्योंकि "जीवन के निम्नतर स्तर पर वे संख्या में ज्यादा हैं। वे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं और जीवन की बोझिल स्थितियों से परेशान हैं।" लेकिन जब संविधान में ही इन पिछड़ों के लिए वरीयतापूर्ण प्रावधान किए गए हैं तो आखिर "हम न्यायाधीश कौन होते हैं, जो अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत सरकार द्वारा किए गए प्रावधानों के औचित्य पर प्रश्न उठा सकें? उत्तर स्पष्ट है कि न्यायालय ऐसे किसी प्रावधान को नहीं रोक सकता, जो संविधान के विरूद्ध नहीं हैं, भले उसके परिणाम कुछ लोगों के लिए दु:खद क्यों न हों।"

... शेष अगले अंक में

अरूण शौरी की पुस्तक 'आरक्षण का दंश' से साभार

भारत सरकार के आयुष मंत्रालय का आह्वान

आयुर्वेद अपनाइये, कोरोना भगाइये।

मान्यवर,

हजारों वर्षों से परखी हुई भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद एवं योग पर आधारित कोविड-19 (कोरोना) महामारी से बचाव, उपचार एवं स्वास्थ्य लाभ के लिए भारत सरकार आयुष मंत्रालय द्वारा प्रबन्धन प्रोटोकॉल दिनांक 06.10.2020 को जारी किया गया है। यह प्रोटोकॉल राष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद और योग के छः प्रतिष्ठित संस्थानों (AIIA, IPGTRA, NIA, CCRAS, CCRYN और अन्य राष्ट्रीय शोध संगठनों) के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है।

1. कोविड-19 से बचाव के उपाय :

A. सामान्य और शारीरिक उपाय : (i) शारीरिक दूरी, श्वसन और हाथ की स्वच्छता रखें, मास्क पहनें (ii) एक-एक चुटकी हल्दी और नमक के गर्म पानी से गरारे करें (iii) घर से बाहर जाने और वापस आने पर अणु तैल/षड्बिन्दु तैल/तिल तैल/नारियल तैल या गाय का घी नाक में डालें (iv) अजवाईन या पुदीना या नीलगिरि तैल के साथ दिन में एक बार भाप लेना (v) नींद 7-8 घंटे (vi) मध्यम शारीरिक व्यायाम तथा (vii) योग (प्राणायाम आदि) प्रोटोकॉल (संलग्नक-एक व दो) का पालन करें।

B. आहार सम्बन्धी उपाय: (i) अदरक या धनिया या तुलसी या जीरा डालकर उबला हुआ पानी पीएँ (ii) ताजा, गर्म, संतुलित आहार लें (iii) रात्रि में गोल्डन मिल्क (150 मिली गर्म दूध में तीन ग्राम हल्दी चूर्ण) लेवें (iv) आयुष काढ़ा दिन में एक बार लेवें।

C. उच्च जोखिम आबादी या सम्पर्कों में कोविड-19 से बचने के लिए: (i) अश्वगंधा का 500 मिलीग्राम एक्स्ट्रेक्ट या 1-3 ग्राम चूर्ण एक माह तक दिन में दो बार गर्म पानी से लें (ii) गुडूची घनवटी/गिलोय घनवटी/संशमनी वटी का 500 मि.ग्रा.एक्स्ट्रेक्ट या 1-3 ग्राम चूर्ण एक माह तक दिन में दो बार गर्म पानी से (iii) च्यवनप्राश 10 ग्राम गर्म पानी/दूध के साथ प्रति दिन लेवें।

2. लक्षण रहित कोविड-19 पोजिटिव मरीज का उपचार :

(I) गुडूची घनवटी/गिलोय घनवटी/संशमनी वटी का 500 मिलीग्राम एक्स्ट्रेक्ट या 1-3 ग्राम चूर्ण एक माह तक दिन में दो बार गर्म पानी से (ii) गुडूची + पिप्पली का जलीय एक्स्ट्रेक्ट 375 मिलीग्राम लगातार 15 दिनों तक गर्म पानी से दिन में दो बार (iii) आयुष-64 (500 मिलीग्राम) लगातार 15 दिनों तक दिन में दो बार गर्म पानी से लेवें।

3. हल्का कोविड-19 पोजिटिव मरीज का उपचार : (बुखार, थकान, सूखी खाँसी, गले में खरास, नाक बंद लेकिन श्वास फूलने से पहले)

(I) गुडूची + पिप्पली का जलीय एक्स्ट्रेक्ट 375 मिलीग्राम लगातार 15 दिनों तक दिन में दो बार गर्म पानी से (ii) आयुष-64 (500 मिलीग्राम) लगातार 15 दिनों तक दिन में दो बार गर्म पानी से लेवें।

4. हल्का कोविड-19 पोजिटिव मरीज का विशेष उपचार :

(I) शारीरिक दर्द/ सिरदर्द के साथ बुखार के लिए नागरादि कषाय (ii) खाँसी के लिए शहद के साथ सितोपलादि चूर्ण गले में खरास/स्वाद में कमी के लिए व्योषादि वटी (iii) थकान के लिए च्यवनप्राश (iv) हाइपोक्सिया के लिए वासावलेह (v) दस्त के लिए कुटज घनवटी और श्वास फूलने पर कनकासव भी संलग्नक-3 के अनुसार या आयुर्वेद चिकित्सक के परामर्श अनुसार ले सकते हैं।

5. कोविड-19 पश्चात् उपचार : (i) अश्वगंधा का एक्स्ट्रेक्ट 500 मिलिग्राम या चूर्ण 1-3 ग्राम एक माह तक गर्म पानी से दिन में दो बार (ii) च्यवनप्राश 10 ग्राम प्रतिदिन गर्म पानी/दूध के साथ एक बार (iii) रसायन चूर्ण एक माह तक प्रतिदिन शहद के साथ दो बार।

6. कोविड-19 की रोकथाम के लिए तथा कोविड-19 के बाद परिचर्या के लिए योग (प्राणायाम आदि):

संलग्नक-1 एवं 2 में योग प्रोटोकॉल 45 मिनिट एवं 30 मिनिट की अलग-अलग सारणी में बताये गये हैं, इनकी नियमित पालना भी आवश्यक है।

नोट:- उपर्युक्त प्रोटोकॉल (तीनों संलग्नकों सहित) की विस्तृत जानकारी भारत सरकार आयुष मंत्रालय की वेबसाईट पर एवं समता आंदोलन की वेबसाइट www.samtaandolan.co.in के होम पेज पर उपलब्ध है जिसका गम्भीरता से अवलोकन और पालन करेंगे तो शीघ्र ही भारत देश कोविड-19 से मुक्त हो जायेगा। कृपया आयुर्वेद एवं मानवता की सेवा के लिए इस पैम्फलेट को लगातार प्रचारित करते रहें। सादर।

निवेदक : समता आन्दोलन समिति (रजि.)

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in